संचिका सं0—15 / डी0 एल0 ए0 पटना (रा0 उ0 प0) —03 / 2013—304 / रा0 पटना, दि0—01 / 2 / 2013

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू—अर्जन निदेशालय)
अधिघोषणा

पटना, तारीखः.........................

सं...रा0 चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम—कंसारी, चादर नं०—02, थाना नं0—73, सर्वे थाना—मसौढ़ी, परगना—सांढा, जिला—पटना में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् बिहटा—सरमेरा राज्य उच्च पथ सं0—78 के निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है। इसलिए, इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम—कंसारी, चादर नं०—02, थाना नं0—73 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम—वेश—5.035 एकड़ के बराबर होता है और जिसका सर्वे खेसरा संख्या—1883, 2062, 2063, 2065 एवं 2066 सभी अंश भाग वो खेसरा संख्या—2064 पूर्ण भाग है और जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है—

उत्तर	:	खेसरा संख्या—1883 अंश, 2062 अंश, 2063 अंश, 2064 पूर्ण, 2065 अंश ।
पूरब	:	खेसरा संख्या—1884 अंश, 1885 पूर्ण, 2063 अंश, 2061 अंश, 2120 अंश।
दक्षिण	:	खेसरा संख्या—1881 पूर्ण, 1882 पूर्ण, 2064 अंश, 2065 अंश, 2066 अंश ।
पश्चिम	:	खेसरा संख्या—1880 अंश, 1942 अंश, 2062 अंश, 2073 अंश।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग, जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो ले, लिए जायेंगे। यह घोषणा अधिनियम 1, 1894 की धारा 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा 3 के खंड (1) यथा संशोधित अधिनियम के धारा 4 सन् 1961 एवं सन् 1984 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे संबंध हो। भूमि का मानचित्र जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

समाहर्त्ता
पटना

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव

E/BSRDC/BAKAST MALIKONLY/ADHIGHOSHNA

ज्ञापांक सं0– 304 / रा0 दिनांकः 01-2-13

1. प्रतिलिपि तीन अतिरिक्त प्रतियों सी0डी0 के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदा0, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।

2. प्रतिलिपि प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, पटना को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5–5 प्रतियां इस विभाग एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।

3. प्रतिलिपि समाहर्त्ता / जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

30/1/13

सरकार के अवर सचिव।